

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीयकांपरेटिवकी बैठक सं० १/२००१
दिनांक १४-३-२००१ को मध्याह्न १.३० बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय
की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

- १- श्री आर.एस. गठाला, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
- २- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशकआयोजना जविप्रा, जयपुर ।
- ३- श्री पी.आर. शर्मा, निदेशकवित्त जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

- १- श्री एच.एम. सिंघल, उपायुक्त, जोन सी-१, जविप्रा, जयपुर ।
- २- श्री बट्टीनारायण, उपायुक्त, जोन सी-२, जविप्रा, जयपुर ।
- ३- श्रीमती दुर्गा जोशी, उपायुक्त, जोन डी, जविप्रा, जयपुर ।
- ४- श्री एस.आर. पिलानिया, प्राधिकृत अधिकारी, जोन सी-२, जविप्रा, जयपुर ।
- ५- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजककांपरेटिव जविप्रा, जयपुर ।
- ६- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजककांपरेटिव जविप्रा, जयपुर ।
- ७- श्री शेराराम, सहायक नगर नियोजक, जोन डी, जविप्रा, जयपुर ।
- ८- श्री गिरिश शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-२, जविप्रा, जयपुर ।
- ९- श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-१, जविप्रा, जयपुर ।

॥१॥ भवन मानचित्र समिति-द्वितीयकांपरेटिवकी बैठक सं० ३/२००१
दिनांक २२-१-२००१ का कार्यवाही विवरण समिति के पृष्ठकरण
हेतु -

समिति द्वारा पृष्ठ को गयी ।

॥२॥ भवन मानचित्र समिति-द्वितीयकांपरेटिवकी बैठक सं० ४/२००१
दिनांक २३-२-२००१ का कार्यवाही विवरण समिति के पृष्ठ हेतु -
समिति द्वारा पृष्ठ को गयी ।

॥३॥ भवन मानचित्र समिति-द्वितीयकांपरेटिवकी बैठक सं० ५/२००१
दिनांक २४-२-२००१ का कार्यवाही विवरण समिति की पृष्ठ हेतु -
समिति द्वारा पृष्ठ को गयी ।

॥४॥ भवन मानचित्र समिति-द्वितीयकांपरेटिवकी बैठक सं० ६/२००१
दिनांक २६-२-२००१ का कार्यवाही विवरण समिति की पृष्ठ हेतु -
समिति द्वारा पृष्ठ को गयी ।

5- मास्टर विकास योजना 2011 में रेल्वे लाईन के समानान्तर 50 फिट की रेल्वे सीमा के पश्चात् 100 फिट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है परन्तु सैक्टर प्लान में योजना के पूर्व-पश्चिम में 100 फिट चौड़ी रोड़ प्रस्तावित थी और तदनुसार यह सैक्टर प्लान रोड़ मौके पर 100 फिट उपलब्ध है। अतः भूखण्ड संख्या 65 से 92 तक मास्टर प्लान की इस रोड़ को विलोपित करने का निर्णय लिया गया और उसके पश्चात् इस रोड़ को यथावत रखा जाये। अतः भूखण्ड सं० 65 से 75 एवं 224, 227, 226, 260, 261, 223, 81ए, 82 से 92 को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

7.2- एजेण्डा सं० 9/2001- 2 :- लक्ष्मी नगर गृ.नि.स. समिति की योजना तिलक विहार हीरावाला के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक (काॅर्पोरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। उपायुक्त, जोन सी-1 द्वारा बताई गई मौके की स्थिति के आधार पर योजना का अनुमोदन निम्नान्कित शर्तों के साथ किया गया -

1. योजना का भू उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार रुरल बेल्ट है अतः इसे आवासीय उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. भूखण्ड सं० 1 व 44 के सामने की सड़क की चौड़ाई योजना में 30 फिट प्रस्तावित की गयी है जबकि इसके सामने की योजना रामनगर विस्तार में इस सड़क की चौड़ाई 60 फिट स्वीकृत की गयी है अतः इस सड़क को भी 60 फिट किये जाने का निर्णय लिया गया।
3. आवासीय क्षेत्रफल को 60% के आसपास लाने हेतु भूखण्ड सं० 13 व 14 को फैसिलिटी के रूप में अंकित करने का निर्णय लिया गया।

7.3- एजेण्डा सं० 9/2001- 3 :- अम्बेश्वर गृ.नि.स. समिति की योजना शिव नगर के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक (काॅर्पोरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त, जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। उपायुक्त, सी-1 द्वारा बताई गई मौके की स्थिति के आधार पर योजना का अनुमोदन निम्नान्कित शर्तों के साथ किया गया -

1. मास्टर विकास योजना 2011 में इस भूमि का भू उपयोग औपन

§5§ भवन मानचित्र समिति-द्वितीयकाॅपरेटिव् की बैठक सं0 7/2001 दिनांक 2-3-2001 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टि हेतु - समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

§6§ भवन मानचित्र समिति-द्वितीयकाॅपरेटिव् की बैठक सं0 8/2001 दिनांक 3-3-2001 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टि हेतु - समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

§7§ एजेण्डा आईटमस -

7.1- एजेण्डा सं0 9/2001-1 :- इंदिरा गृ.नि.स. समिति की योजना श्री कुशाल नगर सांगानेर की योजना अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजककाॅपरेटिव् द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया । उपायुक्त जोन सी-1 द्वारा बताई गई मौके की स्थिति के आधार पर योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

1. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार मानसरोवर-सांगानेर रोड़ की चौड़ाई 200 फिट है अतः भूखण्ड सं0 1 से 14 का रोड़ में आने वाला भाग अनुमोदन नहीं किया गया एवं भूखण्ड संख्या 8 से 14 का जो रोड़ में जाने के बाद शेष भाग बचा है उसे कन्वीनियंट शोपिंग के रूप में अनुमोदित किया गया ।
2. योजना के पूर्व-पश्चिम की ओर सैक्टर प्लान में 100 फिट चौड़ी रोड़ प्रस्तावित है जिसे रेल्वे लाईन के समानान्तर प्रस्तावित मास्टर प्लान 100 फिट चौड़ी रोड़ मिलाने का निर्णय लिया गया । इस कारण भूखण्ड सं0 93, 218 से 222 को अस्वीकृत किया गया ।


उक्त 100 फिट चौड़ी सैक्टर रोड़ व भूखण्ड सं0 144, 170 के उत्तर में प्रस्तावित 100 फिट चौड़ी रोड़ के बीच के भाग को आरक्षित रखा गया ।

- 3- हाईटेन्शन लाईन के नीचे आने वाले सभी भूखण्डों को अस्वीकृत किया गया ।
- 4- भूखण्ड सं0 1 से 6 व 27 से 32 व 67 से 69, 37 में गैर आवासीय उपयोग है इनको भी आवासीय के रूप में अनुमोदित किया गया ।

पार्क प्ले ग्राउण्ड एवं रिजेशनल है जिसे आवासीय भू उपयोग करने का निर्णय लिया गया ।

2. मास्टर विकास योजना 2011 में टॉक रोड की चौड़ाई 300 फिट है तथा इसके दोनों ओर 100'- 100' का प्लॉटेशन कोरिडोर है अतः सड़क के केन्द्र बिन्दु से 250 फिट की दूरी तक में आने वाले सभी भूखण्डों और 33 दुकानों को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया । रोड के केन्द्र बिन्दु से 150 फिट व 250 फिट के बीच की पट्टी को फैसिलिटी प्लॉटेशन/गार्डन के रूप में दर्शाया जाए ।
3. योजना में 2 हाईटेन्शन लाईन गुजरती है । इन लाइनों के नीचे 30 फिट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है अतः इन दोनों सड़कों को 40 फिट चौड़ी करने का निर्णय लिया गया {केन्द्र से 20 फिट दोनों ओर} ।
4. समिति की योजना का काफी क्षेत्र रोड में चला जाता है अतः योजना का नियमन साधारण दर पर किया जाये ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

 30/3/2001


उप नगर नियोजक {कांपरेटिव}
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/कांपरेटिव/2001/डी-88

दिनांक : 31-3-2001

प्रतिलिपि:-

- 1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
- 3- निदेशक {आयोजना} / {विधि} / {विस्त} / {अभियान्त्रिकी} जविप्रा, जयपुर ।
- 4- अति-आयुक्त {भू-रूपान्तरण} जविप्रा, जयपुर ।
- 5- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन सी-1, सी-2 एवं डी, जविप्रा, जयपुर ।

 30/3/2001

उप नगर नियोजक {कांपरेटिव}